



आरत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राविकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई इलनी, शनिवार, जुलाई 10, 1971/आसाढ़ 19, 1893

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 10, 1971/ASADHA 19, 1893

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या बो जाती है जिससे कि यह भारत संकालन के कद में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपलब्ध (i)

PART II -Section 3—Sub-section (i)

(एसा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य-सेवाओं के प्रशासनों को
छोड़ कर) केन्द्रीय प्राविकारियों द्वारा जारी किये गये विभिन्न के प्रन्तरीत चलाये और जारी किये
गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 14th June 1971

G.S.R. 999.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309
of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the
Hindi Translator, Grade I (Ministry of Home Affairs) Recruitment Rules, 1969,
namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Hindi
Translator Grade I (Ministry of Home Affairs) Recruitment (Amendment) Rules,
1971.

(2589)

परन्तु, यदि वहन किया जाने वाला विस्फोटक पदार्थ अनन्यतः वर्ग 2 का है तो ऐसी मात्रा 15,000 किलोग्राम या बैन की वहनधारिता के 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।”

[सं. 11/19/71-एस० सी० एच० II]

म० सुभमनयम, अवर सचिव।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 7th June 1971

G.S.R. 1013.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Radio (Class I Engineering posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 2 of the Schedule to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3, 4 and 5 of the said Schedule.

4. **Methods of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment of the posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax, any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

Sl. No.	Name of post-	No. of posts	Classifica- tion	Scale of pay	Whether Selection post or non-se- lection post-	Age limit for direct recruits	Educa- tional and other qualifica- tions	Whether age and education- al quali- fications prescribed for the direct recruits will apply in the case of Pro- motees
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chief Engi- neer	1	General Central Service Class I Gazetted	Rs 2000- 125-2250	Selection	Not app- licable	Not app- licable	Not app- licable
2	Additional Chief Engi- neer	2	Do.	Rs 1800- 100-2000	Do.	Do.	Do.	Do.
3	Deputy Chief Engi- neer	11	Do.	Rs 1600- 100-1800	Do.	Do.	Do.	Do.
4	Senior En- gineer	41	Do.	Rs 1300- 60-1600	Do.	Do.	Do.	Do.
5	Station En- gineer	120	Do.	Rs 700-40- 1100-50/2- 1250	Do.	Do.	Do.	Do.

DULH

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputa- tion/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
Two years	By Promotion.	Promotion : Additional Chief Engineer.	Class I Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations), 1958.
Do.	Do.	Promotion : Deputy Chief Engineer with 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.
Do.	Do.	Promotion : Senior Engineer with 2 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.
Do.	Do.	Promotion : Station Engineer with 7 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.
Do.	Do.	Promotion : Assistant Station Engineer with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Do.	Do.

[No. 20/2/67-BA/BD.]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1971

जी० एस० पार० 1013—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों
का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संशिष्ट हीरेंक तथा प्रारम्भः— (1) इन नियमों को आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी
इंजीफरी पद) भर्ती नियमबाली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:—ये नियम इस नियमबाली से संबंधन परिशिष्ट के कालम, 2 में
निर्विष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमात्रा:— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण
तथा इनसे संबंधित वेतनमात्रा उक्त परिशिष्ट के कालम 3 से 5 तक से विए, अनु-
सार होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—पदों की भर्ती पद्धति, आयुसीमा,
अर्हताएं तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त परिशिष्ट के कालम 6 से 14
तक में विए अनुसार होंगे।

5. अर्हताएं:—

(क) जिसने ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,
जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के हाते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो
या करने का करार किया हो।

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उम व्यक्ति पर और
जिससे विवाह किया गया है, उसपर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञय है तथा ऐसा
किए जाने के अन्य कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. छूट देने का अधिकार:—जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक
या उन्नित है, वहाँ वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक द्वारा आयोग
के परामर्श से आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को
इन नियमों के किसी उपदंष्ट से छूट दे सकती है।

परिशिष्ट

क्रम संख्या	पदमास	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमात्र	प्रवरण पद या अप्रवरण पद
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य इंजीनियर	1	ग्रामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी— एक राजपत्रित	2,000—125— 2,250 रुपए	प्रवरण

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	शैक्षिक तथा अन्य प्रार्थनाएँ	या सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक ग्रहण— ताएँ पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवेश की प्रबलि यदि कोई हो
----------------------------	------------------------------	---	-----------------------------

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता	वो वर्ष

भर्ती पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती किए जाने के लिए वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रति नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
---	--

11	12
पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विश्वामान है
तो उसका गठन क्या है

किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक
सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

13

14

श्रेणी—1 विभागीय पदोन्नति समिति

जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से
कूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत घोषित है।

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

2.	अतिरिक्त मुख्य इंजी-	2	सामान्य कैन्ट्रीय सवा	1800-100-
	नियर		श्रेणी एक राजपत्रित	2,000 रुपए

7	8	9	10
---	---	---	----

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
----------------	----------------	----------------	---------

11	12
----	----

पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति :
-----------------	------------

उप मुख्य इंजीनियर जिसकी इस श्रेष्ठ में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 2 वर्ष की सेवा हो।

13	14
----	----

श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति सभिति	जसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छट) विनियम, 1958 के अप्तर्गत अपेक्षित है।
---------------------------------	--

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

3.	उप मुख्य इंजीनियर	11	रामानवि केष्ट्रीय सेवा	1,600—100—	"
			श्रेणी-एक राजपत्रिका	1,800 रुपए	

7	8	9	10
---	---	---	----

लागू नहीं होगा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष
----------------	----------------	----------------	---------

11	12
----	----

पदोन्नतिप्राप्ति	पदोन्नति
------------------	----------

सीनियर इंजीनियर जिसकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 2 वर्ष की सेवा हो।

13	14
----	----

अणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति	जैसा कि संघ लोक गेत्रो आयोग (परामर्श सभा) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
------------------------------	---

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

4. सीनियर इंजीनियर 41 सामान्य केन्द्रीय सेवा 1,300-60—
श्रेणी—एक राज्यपत्रित 1,600 रुपए

7	8	9	10
---	---	---	----

लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता दो वर्षे

11	12
----	----

पदोन्नति द्वारा पदोन्नति :

केन्द्र इंजीनियर जिसकी इस ग्रेड में नियमित आधारपर नियुक्ति के उपरान्त 7 वर्ष की की सेवा हो।

13	14
----	----

श्रेणी—1 विभागीय पदोन्नति समिति जैसा कि सध लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के प्रनाली प्रपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

5.	केन्द्र इंजीनियर	120	सामुन्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-एक राजपत्रित	700-40-1100 -50/2~ 1,250 रुपए	"
----	------------------	-----	---	-------------------------------------	---

7	8	9	10
---	---	---	----

लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्षे
----------------	----------------	----------------	----------

11	12
----	----

पदोन्नति द्वारा

पदोन्नति :

सहायक केन्द्र इंजीनियर जिसकी इस शेड में
नियमित आधार पर नियकित के उपरान्त 5
वर्षे की सेवा हो।

13	14
----	----

श्रेणी-1 विभागीय पदोन्नति समिति

जैसा कि संबंध सोक सेवा आयोग (परामर्श से
छूट) विनियम, 1958 के प्रत्यर्गत अद्यतित है।

[संख्या 20 (2) / 67-बी० ए०/बी०डी०]

आरो बालकर्णन, उप सचिव।